न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 80/2017 (225 आरटीए) परमी वगै. बनाम जयराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00154)

1 परमी पुत्री देवाराम पत्नी मुकनाराम जाति सरगरा, निवासी खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

2 प्यारेलाल पुत्र लाबूराम,

3 डूंगरराम पुत्र प्रतापराम

जातियान सरगरा निवासीगण जसपाली, तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1 जयराम पुत्र धूलाराम,

2 बाबूलाल पुत्र धूलाराम

जातियान माली, निवासीगण जोजरी बेरा नानण रोड़, पीपाड़शहर, जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
दिनांक 16.05.2017 राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 512/2015

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

2 रेस्पाडेट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 512/2015 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेंट्स की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 512/2015 पेश किया गया। इस प्रार्थना पत्र में रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा खसरा नं. 127 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा के लिए अपीलांट/अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नं. 126 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा में से अ ब स द मार्क रास्ते की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र के तथ्यों को इन्कार किया कि प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। रेस्पो. सवर्ण जाति के लोग हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति के खातेदार अपीलांट की भूमि खसरा नं. 127 बीघा रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा का अपने नाम से बेचाननामा निष्पादित करवा दिया जो बेचाननामा धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से के अंतर्गत शून्य है। अप्रार्थीगण को विधि विरुद्ध बेचाननामे की जानकारी होते ही इसका रेफरेंस पेश कर दिया है जो विचाराधीन है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह निवेदन किया गया कि जब तक रेफरेंस का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जावे। फिर भी उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट को कोई नोटिस दिए बगैर प्रकरण मो केम्प कोर्ट बोयल रख कर अपीलांट के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधनीस्थ न्यायालय ने नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। मौके पर रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं हैं तथा वैकल्पिक रास्ते का अभाव मौका रिपोर्ट से सिद्ध नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति के खातेदार अपीलांट की भूमि खसरा नं. 127 बीघा रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा का अपने नाम से बेचाननामा निष्पादित करवा दिया जो बेचाननामा धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से के अंतर्गत शून्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

अप्रार्थीगण को विधि विरुद्ध बेचाननामे की जानकारी होते ही इसका रेफरेंस पेश कर दिया है जो विचाराधीन है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह निवेदन किया गया कि जब तक रेफरेंस का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जावे। फिर भी उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट को कोई नोटिस दिए बगैर प्रकरण मो कैम्प कोर्ट बोयल रख कर अपीलांट के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय व बिना सुनवाई का अवसर दिए नियमों की अवहेलना करते हुए विधि विरुद्ध तरीके से पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पाडेट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने बहस में कथन किया कि दिनांक 20.05.2016 को मौका फर्द उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की गई जिसमें दो रास्ते प्रस्तावित किए गए। अधीनस्थ न्यायायलय ने मौका फर्द एवं उभय पक्षकारान को सुनकर लोक अदालत कैंप बोयल में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रास्ते की भूमि की कीमत भी जमा कराई जा चुकी है। रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश भी हो चुका है। वादग्रस्त भूमि के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर नजदीकी रास्ते को दिए जाने के आदेश कर दिए गए हैं। जबकि अपीलांट/अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में यह जबाब भी पेश किया था कि खसरा नं. 127 अप्रार्थीगण के पूर्वज सुजाराम, लाबूराम पिसरान मंगलराम एवं डूंगरराम पुत्र प्रतापराम जाति सरगरा के नाम थी। उक्त भूमि वक्त सैटलमेंट से इनके नाम ही दर्ज थी। तत्कालीन तहसीलदार ने विधि विरुद्ध नामांतरकरण संख्या 312 के जरिए उक्त भूमि श्रीमति गलकुंदीदेवी पत्नी बद्रीराम व सत्यनारायण पुत्र बद्रीराम जातियान माली निवासी पीपाड़ शहर के नाम राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 42 बी के विरुद्ध भर दिया गया जो पूर्णतया विधि विरुद्ध था जिसके विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा माननीय अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर के समक्ष

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 2/2015 विचाराधीन है जो रेफरेंस के लिए कार्यवाही लंबित रहने तक विवादग्रस्त भूमि खसरा नं.127 ग्राम जसपाली के रिकार्ड की यथास्थिति हेतु विचाराधीन है।

8 अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 127 की भूमि के लिए उनके खातेदार रेस्पोडेंट्स के लिए रास्ता देने का आदेश कर दिया है लेकिन जब उनकी खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के तहत विधि विरुद्ध होने के संबंध में अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में स्पष्ट अंकन कर दिया है तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के यहां तृतीय जोधपुर के समक्ष राजस्व विविध प्रकरण संख्या 2/2015 विचाराधीन है तो इस संबंध बिना कोई विवेचन या फाइडिंग दिए ही आदेश पारित कर दिया है। यदि भूमि अनुसूचित जाति की है तो प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण बिंदु को निर्णित किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किए जाने योग्य पाया जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में रेस्पो./प्रार्थीगण की खातेदारी धारा 42 बी के प्रावधानों के अनुसार विधि विरुद्ध है या नहीं इस संबंध में विवेचन/फाइंडिंग देते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण करें।

30/4/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर